तार : विश्वविद्यालय
Gram : UNIVERSITY

टेलीफोन : कार्या० : 2320496
कुलसचिव : निवास : 2321214
फैक्स : 0510 : 2321667

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI (U.P.)

झाँसी (उ.प्र.) 284128

संदर्भ बु.वि./प्रशा./2016/अनापत्ति/1411-1417

दिनाँक 12/4/16

अनापत्ति

शासनादेश संख्या 2103/सत्तर-2-2012-2(166)/2012 दिनांक 09/8/2012 के अन्तर्गत गठित अनापत्ति समिति की बैठक दिनांक 06.04.2016 में लिये गये निर्णयानुसार प्रस्तावित दशरथ महाविद्यालय, बहेरी, बांदा को स्नातक स्तर पर कला संकाय में बी०ए० (अर्थशास्त्र, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र) तथा वाणिज्य संकाय में बी०कॉम विषयों/पाठ्यक्रमों मे स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों/अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त एवं शासनादेश दिनांक 9/8/2012 के कम में जिलाधिकारी बांदा की भूमि सम्बन्धी राजस्व अभिलेखो की परीक्षण आख्या/संस्तुति पत्र दिनांक 19.02.2016 के आधार पर शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तो पर अनापत्ति प्रदान की जाती है :-

1. पाठ्यक्रम का संचालन अनापत्ति हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव मे दर्शायी गयी ग्राम बहेरी की खतौनी 1419-1424 फसली के खाता स० 279 में गाटा स० 965 रकवा 0.498 हे०, खाता स० 246 में गाटा स० 966 रकवा 0.287 हे० व खाता स० 296 में गाटा स० 969 रकवा 0.324 हे० कुल 3 तीन किता रकबा 1.089 हे० भूमि पर निर्मित भवन मे ही किया जायेगा। अन्य भू खण्ड या स्थान पर संचालित किये जाने पर यह अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
2. यह अनापत्ति जिलाधिकारी बांदा के भूमि सम्बन्धी राजस्व अभिलेखो की परीक्षण आख्या/संस्तुति दिनांक 19.02.2016, समिति/ट्रस्ट के प्रबन्धक/सचिव द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 26.11.2015 तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रपत्रों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि इसमें भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि/परिवर्तन विसंगति प्रकाश में आती है तो प्रदत्त अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं इसके लिये सचिव/प्रबन्धक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
3. महाविद्यालय के नाम भूमि के विधितः अंकित होने एवं भूमि/गाटों की संयुक्तता आदि मे विसंगति की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।
4. उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब संस्था शासनादेश संख्या 3075/सत्तर-2-2002-2(166)/2002 दिनांक 27/09/2002, शासनादेश संख्या 3411/सत्तर-2-2002-2(166)/2002 दिनांक 11.10.2002, शासनादेश संख्या 193/सत्तर-2-2003-2(166)/2002 दिनांक 13.01.2003, शासनादेश स० 585 मु०म०/सत्तर-2-2005-2(166)/2002, दिनांक 21.10.2005, शासनादेश संख्या 743 मु०मं /सत्तर-2-2006-2 (166)/2002 दिनांक 07/11/2006, शासनादेश संख्या 1140/ सत्तर - 3 - 2009, दिनांक 10.07.2009, शासनादेश स० 1528 / 79 - 6 - 2008, दिनांक 20.07.2009, शासनादेश संख्या - 4070 / सत्तर - 2 - 2011-16(686)/2011, दिनांक 20.04.2012 एवं शासनादेश संख्या 2103/सत्तर-2-2012-2(166)/2002, दिनांक 09.08.2012 तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों मे विनिर्दिष्ट मानको के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकतायें पूर्ण कर ली जायेगी।

: विश्वविद्यालय
ram : UNIVERSITY

टेलीफोन : कार्या0 : 2320496
कुलसचिव : निवास : 2321214
फैक्स : 0510 : 2321667

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI (U.P.)

झाँसी (उ.प्र.) 284128

संदर्भ.................. दिनाँक..................

5. उ0 प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 14 सन 2014) के मूल अधिनियम की धारा 37(2) मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार "कार्य परिषद सम्बद्धता की ऐसी शर्तो को जो विहित की जायें, पूरा करने वाले महाविद्यालयों को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगी अथवा पहले से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकार को बढा सकेगी" इस प्रकार विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के पश्चात ही उक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना सम्बन्धित पाठ्यकम मे प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी।
6. पाठ्यकम के संचालन पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। संस्था भविष्य मे भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो विश्वविद्यालय और न ही राज्य सरकार से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई देनदारी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार की होगी।
7. यह अनापत्ति दिनांक 01.07.2016 से आगामी दो वर्ष हेतु वैध होगी।

ह0
(प्रो0 सुरेन्द्र दुबे)
कुलपति

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, बांदा।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झांसी ।
4. प्रबंधक/सचिव, प्रस्तावित **दशरथ महाविद्यालय, बहेरी, बांदा।**
5. कुलपति जी के निजी सचिव को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
6. डा0 दीपक तोमर, सिस्टम एनालिस्ट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त महाविद्यालय का ऑनलाइन निरीक्षण शुल्क का लिंक अनापत्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से तीन दिन के अन्दर खोलना सुनिश्चित करें।
7. गार्ड फाईल।

(व्यास नारायण सिंह)
कुलसचिव